

कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित) नियम -2008 के नियम 19 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-17 के अनुसार प्रधानाचार्य-उमावि एवं समकक्ष स्तर के निम्नांकित शिक्षा अधिकारियों को, राज्य सेवा में 10/ 20/ 30 वर्ष की निरन्तर एवं सन्तोषजनक सेवाएं पूर्ण करने पर, आश्वासित कैरियर प्रगति (प्रथम/ द्वितीय/ तृतीय) सातवें वेतनमान के अन्तर्गत, पै-मेट्रिक्स एवं लेवल संख्या, निम्न तालिका में कॉलम संख्या 6 से 9 में अंकितानुसार स्वीकृत की जाती है :-

नाम प्रधानाचार्य	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान/ विद्यालय	प्रथम नियुक्ति पर धारित पद एवं नियुक्ति तिथि		स्वीकृत एसीपी का प्रकार	एसीपी स्वीकृति/ दैयता दिनांक	स्वीकृत पै बैण्ड	स्वीकृत ग्रेड पे
			पदनाम	कार्यग्रहण तिथि				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
श्री गोपीराम भांबू (सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य)	23-12-61	कार्यालय संयुक्त निदेशक, संभाग, चूरू	चूरू प्रधानाचार्य	19-09-95	20 वर्षीय संशोधित (द्वितीय एसीपी)	19-09-15 से	एल- 17	6800

उपरोक्त अधिकारी को वेतन निर्धारण नियमानुसार संबंधित नियंत्रण अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं संबंधित की सेवापुस्तिका में आवश्यक रूप से इसका इद्राज करेंगे।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आइ.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा

राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक :- शिविरा/माध्य/संस्था-एबी/ए-2/गोपीराम भांबू/2022/

दिनांक : 01.08.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रस्तुत है -

01. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा - चूरू।
02. सिस्टम एनालिस्ट, कंप्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु।
03. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा - चूरू।
04. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी - चूरू।
05. संबंधित कार्मिक।
06. निजी पत्रावली/गार्ड पंजिका।

(संयुक्त निदेशक (कार्मिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर